संख्या– 564/11–6–2017–एम(34)/17

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. आयुक्त,
मनोरंजन कर, उ0प्र0
लखनऊ।

2. समस्त जिला मजिस्ट्रेट,
उ0प्र0।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6

लखनऊः दिनांक 28 जुलाई, 2017

उपा0 (D)

02-8-17

श्री जोशी जी
सं0 शासनादेश
उपरोक्त शासनादेश को अपलोड कराये।
2.8.17
DL

विषयः **प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण/रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मनोरंजन कर के पत्र संख्या–867 दिनांक 13.06.2017 एवं तत्क्रम में प्रेषित पत्र संख्या–971/विधि संशोधन/2017–18 दिनांक 22.06.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में सिनेमा व्यवसाय के प्रोत्साहन के संबंध में विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं कतिपय शासनादेशों के माध्यम से लागू की गयी हैं, जो सिनेमा व्यवसायियों को अपेक्षानुसार आकर्षित नहीं कर पा रही हैं, जिस कारण उसके अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। वर्तमान में लगभग 552 एकल स्क्रीन सिनेमाघर बन्द हो चुके हैं और बन्द होने की यह प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे बन्द सिनेमाघरों को तोड़कर व्यवसायिक गतिविधियों सहित उन्हें पुनः संचालित करवाने हेतु वर्तमान में कोई प्रोत्साहन योजना लागू नहीं है। मल्टीप्लेक्स सिनेमा की ओर दर्शकों का आकर्षण बढ़ा है परन्तु अभी भी 58 जनपद ऐसे हैं जहां एक भी मल्टीप्लेक्स संचालित नहीं है।

2. अतः जन–सामान्य को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने, राजस्व वृद्धि के साथ–साथ अधिकाधिक रोजगार सृजन के उद्देश्य से प्रदेश में बन्द या संचालित सिनेमाघरों को यथास्थिति, पूर्ण रूप से तोड़कर व्यवसायिक गतिविधियों सहित उन्हें पुनः संचालित करवाने/बन्द अथवा संचालित सिनेमाघरों को रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन 58 जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित

...2

करने, संचालित छविगृहों के उच्चीकरण तथा संचालित एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के स्वामियों की समस्याओं के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरांत निम्नलिखित समेकित प्रोत्साहन योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :–

(i) बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघरों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर व्यवसायिक काम्पलेक्स सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना :–

शासनादेश संख्या–1669/11–क0नि0–6–2004–बीस0एम0(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के अधीन निर्मित सिनेमाघरों को प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवा कर का 100 प्रतिशत एवं शेष दो वर्ष 75 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ, वर्तमान में बन्द या संचालित ऐसे एकल स्क्रीन सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

इस योजना का लाभ उन सभी सिनेमाघरों को भी अनुमन्य होगा, जिन्होंने शासनादेश संख्या–1560/11–क0नि0–6–2005–बीस–एम(106)/2005 दिनांक 27.09.2005 द्वारा निर्धारित समय–सीमा के अन्तर्गत, जिला मजिस्ट्रेट को निर्माण की अनुमति हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर दिया था, परन्तु जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से निर्माण की अनुमति मिलने में हुए विलम्ब या किन्हीं अन्य अपरिहार्य कारणों से दिनांक 31.03.2010 तक लाइसेंस प्राप्त नहीं कर सके थे, बशर्ते इस उपवर्ग में आने वाले सिनेमाघर विलम्बतम् दिनांक 31.03.2018 तक जिला मजिस्ट्रेट से चलचित्रों के प्रदर्शन हेतु लाइसेंस प्राप्त कर सिनेमाघर में फिल्मों का प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

(ii) पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों को भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजना–

शासनादेश संख्या–843/11–6–2016–20एम(19)/08 दिनांक 30.12.2016 में अन्तर्निहित अपवाद (ऐसे नगर निगम एंव नगर पालिका परिषद, जहां एक भी मल्टीप्लेक्स हों, को छोड़कर) को निरसित करते हुए योजना सम्पूर्ण प्रदेश हेतु प्रभावी होगी एवं इस योजना के तहत रिमॉडल होने वाले सिनेमाघर/मल्टीप्लेक्स को प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवा कर का 75 प्रतिशत तथा चतुर्थ एवं पंचम वर्ष 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा, जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे।

...3

शासनादेश संख्या–843 दिनांक 30.12.2016 की शेष शर्तें यथावत् रहेगी, जो संलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

(iii) प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजना–

इस योजना का लाभ प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघरों को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने हेतु जनपद/तहसील मुख्यालयों के अतिरिक्त कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बन्द हो चुके सिनेमाघर हेतु पूर्व योजना को और आकर्षक बनाये जाने के उद्देश्य से, दिनांक 31.03.2017 तक बन्द हो चुके सिनेमाघरों को, प्रथम तीन वर्ष राज्य माल और सेवा कर का 50 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2018 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। संबंधित नियम व शर्तें नियम संलग्नक "क" पर उपलब्ध है।

(iv) व्यवसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु प्रोत्साहन योजना–

इस योजना का लाभ व्यवसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु वर्तमान में प्रभावी शासनादेश संख्या–950/11 –6–2016–एम.(9)/16 दिनांक 30.12.2016, को यथावत बनाये रखते हुए इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। संबंधित नियम व शर्तें संलग्नक–"क" पर उपलब्ध है।

(v) जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं हैं, वहां मल्टीप्लेक्स खुलवाने हेतु प्रोत्साहन योजना–

इस योजना का लाभ प्रदेश के ऐसे 58 जनपदों जिनमें एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित नहीं हैं, में भी नये मल्टीप्लेक्सेज के निर्माण हेतु वर्तमान में लागू शासनादेश संख्या–714/11–6–15–एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 को इस सीमा तक संशोधित करते हुए उन जनपदों में प्रथम संचालित होने वाले मल्टीप्लेक्स को छः वर्ष तक राज्य माल और सेवा कर का 100 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया जायेगा। शासनादेश संख्या–714/11–6–15–एम(72)/2010 दिनांक 03.09.2015 एवं इस योजना का लाभ ऐसे सिनेमाघरों को अनुमन्य होगा जो विलम्बतम् दिनांक 31.03.2020 तक जिला मजिस्ट्रेट से

...4

लाइसेंस प्राप्त कर उक्त में फिल्म प्रदर्शन प्रारम्भ कर लेंगे। संबंधित शर्तें/प्रतिबन्ध संलग्नक–"क" पर उपलब्ध है।

(vi) सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु वर्तमान में लागू प्रोत्साहन योजना :–

इस योजना के अन्तर्गत निम्न वर्णित एक अथवा अनेक मदों में, निवेश की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत की सीमा तक का अनुदान, राज्य माल और सेवा कर में से अनुमन्य होगा :–

- एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग
- जेनरेटर सेट क्रय
- ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण
- सारे सीट बदलने
- फाल्स–सीलिंग बदलने
- डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं
- सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र

इस उच्चीकरण योजना का लाभ एकल स्क्रीन छविगृह के व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगा, मल्टीप्लेक्स को उच्चीकरण योजना का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। सिनेमाघरों को उच्चीकरण किये जाने संबंधी शर्तें संलग्नक–ख पर उपलब्ध है।

3. उपरोक्त प्रस्तर–2 की योजनाओं में प्रस्तावित अनुदान की धनराशि वास्तविक रूप में राज्य माल और सेवा कर की प्राप्त धनराशि से अधिक नहीं होगी।

4. इस समेकित प्रोत्साहन योजना को इस शर्त के साथ लागू किया जा रहा है कि आगामी दो माह के अन्दर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा सिनेमाघरों हेतु दिए जाने वाले लाइसेन्स की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा इसकी आनलाइन व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

5. इस संबंध में पूर्व में निर्गत शासनादेश उक्त सीमा तक संशोधित समझे जायेंगे।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
अपर मुख्य सचिव।

...5

संख्या – 564 (1)/11–6–17–एम (34)/2017, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नेकपाल वर्मा)
विशेष सचिव।

विशिष्ट शर्तें एवं प्रतिबन्ध

1. **बन्द पड़े अथवा संचालित सिनेमाघर को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघु क्षमता के सिनेमाघर सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु**

(i). शासनादेश संख्या–1669/11–क0नि0–6–2004–बीस.एम.(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के प्रस्तर–3(3) में उल्लिखित उपबन्ध को निम्नवत् संशोधित समझा जायेगा–

"पुनर्निर्मित भवन में कम से कम 300 आसन क्षमता के छविगृह का निर्माण करना होगा। इस आसन क्षमता का निर्माण एक ही छविगृह में अथवा एक से अधिक छविगृहों में, उ0 प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम–14(2) के अनुरूप भवन के किसी भी तल पर सम्मिलित रूप से किया जा सकेगा।"

(ii). शासनादेश संख्या–1669/11–क0 नि0–6–2004–बीस.एम.(36)/99 दिनांक 03.09.2004 के शेष प्राविधान यथावत् लागू रहेंगे।

2. **पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघर को भवन की आंतरिक संरचना में परिवर्तन (रिमॉडल) कर पुनः संचालित होने वाले सिनेमाघर हेतु :–**

(i). रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह में कम से कम 125 आसन क्षमता का छविगृह बनाना अनिवार्य होगा और उक्त निर्माण, उ0 प्र0 चलचित्र नियमावली, 1951 के नियम–14(2) के अनुरूप भवन के किसी भी तल पर किया जा सकेगा।

(ii). रिमॉडल/पुनर्संरचित छविगृह को जिला मजिस्ट्रेट (सक्षम प्राधिकारी) द्वारा रिमॉडल/पुनर्संरचना के लिए प्रदान की गयी अनुमति की तिथि से, रिमॉडल/पुनर्संरचना हेतु 02 वर्ष का समय दिया जायेगा, जिसे जिला मजिस्ट्रेट इस प्रोत्साहन योजना के जारी रहने की अवधि तक विस्तारित कर सकते हैं, शासनादेश दिनांक 20.05.2011 के प्रस्तर–3(2) को इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(iii). छविगृह को रिमॉडल/पुनर्संरचित किये जाने की अनुमति जिला मजिस्ट्रेट (लाइसेंस प्राधिकारी) के स्तर से प्रदान की जायेगी तथा पुराने सिनेमा भवन को तोड़कर सिनेमा हॉल सहित व्यवसायिक काम्पलेक्स का पुनर्निर्माण किये जाने की सुविधा विषयक शासनादेश संख्या–231/11–6–11–बीस.एम.(19)/2008 दिनांक 20 मई, 2011 के प्रस्तर–3(5), 3(6) एवं प्रस्तर–4 को छोड़कर, शेष प्राविधान यथावत् लागू होंगे।

3. **प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघर को बिना किसी आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतु :–**

(i). लाइसेंसी द्वारा अनुदान हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप–1 में प्रार्थना–पत्र देते समय, अपने छविगृह को पुनः संचालित करने में हुए व्यय (यथा–साज–सज्जा, सीटों का क्रय/मरम्मत, आदि के सम्बन्ध) से सम्बन्धित, बिल/वाउचर, भुगतान की गयी धनराशि के सम्बन्ध में बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया जायेगा तथा विभिन्न मदों में व्यय की गयी धनराशि का भुगतान चेक के माध्यम से किया जायेगा।

4. **व्यवसायिक गतिविधियों सहित/रहित, न्यूनतम 125 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु :–**

(i). कम से कम 125 आसन क्षमता के छविगृह का निर्माण करना अनिवार्य होगा।

5. नये मल्टीप्लेक्स छविगृहों के निर्माण हेतु :–

(i). अग्रेतर वर्णित "सामान्य शर्तें/प्रतिबन्ध" लागू होंगे।

सामान्य शर्तें/प्रतिबन्ध

उपर्युक्त वर्णित सभी वर्गों पर निम्न शर्तें/प्रतिबन्ध लागू होंगे–

(i). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस स्वीकृत करने की तिथि पर इस बात से संतुष्ट होना होगा कि मल्टीप्लेक्स/छविगृह, चलचित्रों के सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु बनकर पूर्णतया तैयार है और यथा–अपेक्षित सक्षम प्राधिकारी द्वारा "पूर्णता प्रमाण–पत्र" जारी कर दिया गया है। "पूर्णता प्रमाण–पत्र" की शर्त आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये बिना अर्थात–यथास्थिति पुनः संचालित करने वाले छविगृहों पर लागू नहीं होगी।

(ii). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लाइसेंस स्वीकृत करने के पश्चात, लाइसेंसी अनुदान प्राप्त करने के लिए निर्धारित संलग्न प्रारूप–1 में, आवेदन तथा रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित संलग्न प्रारूप–3 में अनुबन्ध–पत्र, जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(iii). मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के स्वामी/लाइसेंसी द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप–1 में आवेदन करने के साथ–साथ मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघर की लागत का पूरा वास्तविक ब्यौरा, स्वंय के व्यय पर शासकीय मूल्यांकक से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, इसमें भूमि की कीमत, व्यवसायिक प्रयोजन से किये गये निर्माण यथा–मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के तलों के, अतिरिक्त तलों पर किये गये व्यवसायिक निर्माण तथा उन निर्माण में उपयोग होने वाले रैम्प, एक्सीलेटर, सीढियों का निर्माण तथा बेसमेन्ट, दुकानें, होटल, स्वीमिंग पूल आदि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, परन्तु मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघरों में लगे उपकरण, किये गये साज–सज्जा आदि की लागत सम्मिलित की जायेगी।

(iv). जो मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर, शासन की किसी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत निर्मित हुए हैं, उनको इस योजना के अन्तर्गत अनुमति तभी प्रदान की जायेगी, जब ऐसे सिनेमाघरों का संचालन, प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने की अवधि समाप्त हो जाने के उपरान्त कम से कम 05 वर्ष तक किया जा चुका हो।

(v). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, इस बात से संतुष्ट होने के पश्चात कि अनुदान स्वीकृति हेतु आवश्यक सभी अभिलेख प्रस्तुत कर दिये गये हैं तथा उनके तथ्य एवं आंकड़े पूर्णतः सत्य हैं, निर्धारित संलग्न प्रारूप–2 में, अनुदान आदेश जारी जायेगी तथा अनुदान प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुमन्य होगा।

(vi). यदि मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर से सम्बन्धित, निर्माण की लागत (जो शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित की गयी है), अनुदान हेतु निर्धारित अवधि के पूर्ण होने की तिथि से पहले ही प्राप्त हो जाती है तो अनुदान हेतु निर्धारित अवधि की शेष समयावधि के लिए कोई अनुदान देय नहीं होगा।

(vii). अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात कम से कम आमागी उतने वर्षों की अवधि तक, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितने वर्षों हेतु इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(viii). मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा–जोखा, सुसंगत अधिनियम/नियमावली द्वारा निर्धारित विहित–प्रक्रिया के अनुसार बनाया जायेगा। कर से छूट की अवधि में, कर की राशि का लेखा–जोखा अलग से तैयार किया जायेगा।

(ix). मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर के लाइसेंसी द्वारा अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(x). इस योजना के तहत, अनुदान प्राप्त करने वाले मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों को अनुदान या इस योजना द्वारा विशिष्ट रूप से नियत समयावधि में से जो अधिक हो तक, इस योजना के अतिरिक्त, किसी अन्य अनुदान योजना या उच्चीकरण योजना का लाभ देय नहीं होगा।

(xi). छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अन्तर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय-समय पर जारी आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(xii). शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन सिनेमाघर के निर्माण में उससे सम्बन्धित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टयों या सुसंगत शासनादेश की किसी भी सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक, अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित "भू-राजस्व बकाया" की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना की शर्तें/प्रतिबन्ध–

(i). सम्बन्धित सिनेमाघर स्वामी को, उपरोक्त मदों में निवेश करने से पूर्व, आवेदन करते समय, उपरोक्त मद हेतु प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य का विस्तृत विवरण/अनुमानित व्यय का आगणन जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(ii). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त आगणन को अनुमोदित करते हुए प्रस्तावित कार्यों को कराये जाने हेतु अनुमति प्रदान की जायेगी तथा वास्तविक व्यय का आगणन, उच्चीकरण कार्य पूर्ण होने के पश्चात, किया जायेगा।

(iii). छविगृह स्वामी द्वारा प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य के मद में होने वाले समस्त व्यय का भुगतान चेक/ड्राफ्ट के माध्यम से किया जायेगा।

(iv). जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उच्चीकरण कार्यों के कार्यान्वयन के समय आवश्यकतानुसार, लोक निर्माण विभाग अथवा स्थानीय निकाय/विकास प्राधिकरण के अभियन्ताओं एवं राज्य माल एवं सेवा कर विभाग के अधिकारी/निरीक्षक से समय–समय पर निरीक्षण कराकर प्रस्तावित उच्चीकरण कार्य वास्तव में कराये जा रहे हैं, की पुष्टि की जायेगी।

(v). छविगृह स्वामी द्वारा उच्चीकरण कार्य पूर्ण होने की सूचना तथा अनुदान स्वीकृत करने हेतु निर्धारित संलग्न प्रारूप–4 में आवेदन–पत्र (मय कराये गये उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित वाउचर/बिल एवं भुगतान की धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण–पत्र सहित), जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा तकनीकी विशेषज्ञों से इस तथ्य की पुष्टि कराने के पश्चात, कि उच्चीकरण कार्य वास्तव में कराया गया है और क्रय किये गये यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि नये हैं और उनकी आपूर्ति वास्तव में की गयी है, सम्बन्धित मद में अनुदान की स्वीकृति प्रदान करते हुए जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप–5 में अनुदान आदेश जारी किया जायेगा।

(vi). अनुदान आदेश जारी करने के पूर्व सिनेमा स्वामी द्वारा निर्धारित संलग्न प्रारूप–6 में अनुबन्ध–पत्र भरा जायेगा।

(vii). अनुदान का लाभ छविगृह में सम्बन्धित उच्चीकरण कार्य के पूर्ण कर लेने की तिथि से ही अनुमन्य होगा। अर्थात–अनुदान उस तिथि से ही स्वीकृत माना जायेगा, जिस तिथि को उच्चीकरण कार्य पूर्ण हुआ है।

(viii). छविगृह स्वामी द्वारा कराये गये उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखना होगा और उक्त मद में अग्रेतर पांच वर्ष के पश्चात ही उच्चीकरण कराये जाने पर ही इस योजना के तहत अनुदान अनुमन्य होगा।

(ix). इस योजना का लाभ, किसी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत, नव निर्मित सिनेमाघरों में प्रथम फिल्म प्रदर्शन से 11 वर्ष की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा।

(x). अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(xi). यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा शासन को यह समाधान हो जाता है कि अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया/करवाया गया है अथवा यह संज्ञान में आता है कि बतायी गयी निवेश की धनराशि वास्तविक निवेश से कम है या उपरोक्त वर्णित किसी शर्तें का उल्लंघन पाया जाता है, तो शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार होगा कि अनुदान हेतु दी गयी धनराशि का अनुपातिक अंश अठारह प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, ''भू–राजस्व बकाया'' की भांति वसूल कर ली जायेगी।

प्रारूप–1

शासनादेश संख्या–..... दिनांक .....के अन्तर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

.....।

महोदय,

मैं, ... (लाइसेंसी का नाम), ...

.....(मल्टीप्लेक्स/छविगृह का नाम), स्थान....

.....

(मल्टीप्लेक्स/छविगृह का पूरा पता) वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–3(.....) पर वर्णित वर्ग.....

.....

.....से आच्छादित हूँ। मैं वर्णित शासनादेश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, प्रथम फिल्म प्रदर्शन के दिनांक ..... से प्रथम वर्ष.....द्वितीय वर्ष.....तृतीय वर्ष.....चतुर्थ वर्ष.....पंचम वर्ष.....षष्टम वर्ष..... प्रतिशत धनराशि का अनुदान राज्य माल और सेवा कर से स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना इस वचन के साथ करता हूं कि यदि शासनादेश के प्राविधानों के अनुसार भवन की लागत/बन्द सिनेमा को यथास्थिति संचालित किये जाने में किये गये व्यय की धनराशि रू0 ..... (रूपये ....., शासनादेश द्वारा अनुदान हेतु अनुमन्य (.....वर्ष की) अवधि पूरी होने के पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो (.....वर्ष की) शेष अवधि के लिए अनुदान प्राप्त नहीं करूंगा।

2– मल्टीप्लेक्स/छविगृह में सार्वजनिक फिल्मों के प्रदर्शन हेतु जिला मजिस्ट्रेट द्वारा स्वीकृत लाइसेंस की प्रतियां एवं वर्णित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप–3 में रू0 100.00 के स्टाम्प पेपर पर, अनुबन्ध–पत्र तथा लागत के सम्बन्ध में अपेक्षित शासकीय मूल्यांकक का प्रमाण–पत्र एवं निवेश की गयी धनराशि का मदवार विस्तृत विवरण साक्ष्यों सहित संलग्न कर रहा हूं।

दिनांक :

लाइसेंसी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप–2

शासनादेश संख्या–..... दिनांक .....

.....

के अन्तर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश

आदेश

संख्याः / दिनांक :

श्री / श्रीमती / मे0.....

लाइसेंसी, ..., स्थित–.....

.....मैं, शासनादेश संख्या–.....

दिनांक ..... के प्रस्तर–3(.....) पर वर्णित वर्ग.....

.....में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, प्रथम फिल्म प्रदर्शन के दिनांक ..... से कर की एकत्रित धनराशि का, प्रथम वर्ष.....द्वितीय वर्ष.....तृतीय वर्ष.....चतुर्थ वर्ष.....पंचम वर्ष.....षष्टम वर्ष.....प्रतिशत अनुदान राज्य माल और सेवा कर से स्वीकृत किया जाता है:–

2– अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगीः–

(1) मल्टीप्लेक्स / एकल स्क्रीन छविगृह के स्वामी / लाइसेंसी को किसी भी दशा में, यथास्थिति, शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित मल्टीप्लेक्स / छविगृह की लागत या बन्द सिनेमा को यथास्थिति संचालित किये जाने में किये गये व्यय की धनराशि रू0 ..... (रूपया ....) से अधिक अनुदान अनुमन्य नहीं होगा और यदि यह धनराशि, अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि (.....वर्ष) पूरी होने के पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो .....वर्ष की शेष अवधि के लिए कर में कोई अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(2) मल्टीप्लेक्स / छविगृह के लाइसेंसी द्वारा अनुदान के रूप में अनुमन्य / स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(3) मल्टीप्लेक्स / छविगृह के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा–जोखा, सुसंगत अधिनियम / नियमावली में विहित–प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जायेगा। अनुदान की अवधि में, कर की राशि का लेखा–जोखा अलग से तैयार किया जायेगा।

(4) मल्टीप्लेक्स / छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अन्तर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(5) अनुदान योजना का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात कम से कम आमागी ..... वर्षों की अवधि तक, मल्टीप्लेक्स / छविगृह में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा तथा इस पश्चातवर्ती अवधि में, अनुदान की अवधि में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(6) शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यदि यह समाधान हो जाता है कि मल्टीप्लेक्स / एकल स्क्रीन छविगृह के निर्माण में उससे सम्बन्धित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टयों या उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश की किसी भी सुसंगत शर्त / प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से ऐसे निरस्तीकरण की तिथि तक, अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित "भू–राजस्व बकाया" की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

जिला मजिस्ट्रेट

.....।

प्रारूप–3

अनुबन्ध–पत्र

(रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर मल्टीप्लेक्स/एकल स्क्रीन छविगृह के लाइसेंसी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक .....को श्री .....
(जिसे अग्रेतर "आबद्ध व्यक्ति" कहा गया है) पुत्र श्री .....
स्थायी निवासी.....जो सम्प्रति .....में
निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट..... (जिसे अग्रेतर "जिला मजिस्ट्रेट" कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है।

आबद्ध व्यक्ति, उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद..... स्थित .....
(जिसे अग्रेतर "आमोद" कहा गया है) का लाइसेंसी है और इस निमित्त शासनादेश संख्या–.....दिनांक.....
के प्रस्तर–3(.....) पर वर्णित वर्ग.....
.....के अन्तर्गत
राज्य माल और सेवा कर से अनुदान हेतु आबद्ध व्यक्ति द्वरा प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1– (1) आबद्ध व्यक्ति वर्णित शासनादेश दिनांक ..... के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2) आबद्ध व्यक्ति शासनादेश की सभी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा सुसंगत समस्त अधिनियमों/नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

(3) आबद्ध व्यक्ति, वर्णित योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ प्राप्त होने की अवधि के समाप्त होने के पश्चात कम से कम आमागी उतने वर्षों की अवधि तक, आमोद में चलचित्र प्रदर्शन जारी रखना अनिवार्य होगा, जितने वर्षों हेतु इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित आमोद को अनुदान अनुमन्य किया जाना प्राविधानित है और इस अवधि में, पूर्व (अनुदान की अवधि) में संचालित प्रतिदिन औसत प्रदर्शनों की संख्या में कमी नहीं की जायेगी।

(4) आमोद से सम्बन्धित, निर्माण की लागत (जो शासकीय मूल्यांकक द्वारा प्रमाणित की गयी है) या बन्द छविगृह की आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किये बिना यथास्थिति संचालित किये जाने की दशा में किये गये व्यय की धनराशि, अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि के पूर्ण होने की तिथि से पहले ही प्राप्त हो जाती है, तो अनुदान हेतु अनुमन्य अवधि की शेष समयावधि के लिए, आबद्ध व्यक्ति, अनुदान प्राप्त नहीं करेगा।

(5) यदि आमोद के निर्माण में उससे सम्बन्धित अधिनियम, नियमावली, विनियमन, बाईलाज के किसी प्राविधान अथवा अनुमोदित मानचित्रों एवं विशिष्टयों या उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश या उक्त में अन्तर्निहित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो आबद्ध व्यक्ति, प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से ऐसे निरस्तीकरण

की तिथि तक, अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित राजकोष में जमा करेगा।

2– जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं:

(1) अनुदान निरस्तीकरण हेतु वर्णित परिस्थितियों में से किसी के पाये जाने की दशा में, अनुदान का आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करना।

(2) अनुदान निरस्तीकरण की दशा में, अनुदान सहित प्रथम फिल्म प्रदर्शन की तिथि से अनुदान निरस्तीकरण की तिथि तक अनुदान के रूप में दी गयी समस्त कर की धनराशि राशि 18 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित राजकोष में जमा करने हेतु आबद्ध व्यक्ति को आदेशित करना।

4– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत अधिनियम से है।

(2) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

(3) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्मित नियमावली या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत नियमावली से है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

यह विलेख निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1–

2–

प्रारूप–4

शासनादेश संख्या–..... दिनांक .....

.....के अन्तर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु प्रार्थना–पत्र

सेवा में,

जिला मजिस्ट्रेट

..... ।

महोदय,

मैं, ... (लाइसेंसी का नाम), ...

.....(छविगृह का नाम), स्थान.....

.....

(छविगृह का पूरा पता) में, वर्णित शासनादेश के प्रस्तर–3(च) पर वर्णित वर्ग "सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत, उच्चीकरण सम्बन्धी कराये गये कार्य/कार्यों यथा–एयर कंडीशनिंग/एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स–सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रक्षेपण प्रणाली एवं सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र में निवेश की गयी धनराशि रू0 ..... की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 ..... (रूपया .....

.....) का अनुदान, वर्णित शासनोदश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, राज्य माल और सेवा कर से स्वीकृत किये जाने की प्रार्थना करता हूँ।

2– छविगृह में वर्णित मद/मदों में निवेश की गयी धनराशि का साक्ष्यों सहित मदवार विस्तृत विवरण, यथा व्यय की गयी धनराशि से सम्बन्धित वाउचर/बिल, भुगतान की धनराशि की पुष्टि हेतु बैंक/वित्तीय संस्था का प्रमाण–पत्र एवं वर्णित शासनादेश द्वारा निर्धारित प्रारूप–3 में रू0 100.00 के स्टाप पेपर पर, अनुबन्ध–पत्र संलग्न कर रहा हूं।

दिनांक :

लाइसेंसी का हस्ताक्षर.....

प्रारूप–5

शासनादेश संख्या–..... दिनांक .....

.....

के अन्तर्गत, अनुदान स्वीकृत किये जाने सम्बन्धी आदेश

आदेश

संख्याः / दिनांक :

श्री / श्रीमती / मे0:.....

लाइसेंसी, ..., स्थित–

.....में,

शासनादेश संख्या–..... दिनांक .....के प्रस्तर–3(च) पर वर्णित वर्ग "सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत, शासनादेश में अन्तर्निहित सुसंगत शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन, उच्चीकरण सम्बन्धी कराये गये कार्य / कार्यों यथा–एयर कंडीशनिंग / एयर कूलिंग, जेनरेटर सेट क्रय, ध्वनि प्रणाली के आधुनिकीकरण, सारी सीट बदलने, फाल्स–सीलिंग बदलने, डिजिटल प्रेक्षेपण प्रणाली एवं सौर ऊर्जा पर आधारित संयंत्र में निवेश की गयी धनराशि रू0 ..... की 50 प्रतिशत धनराशि रू0 ..... (रूपया .....) की सीमा तक, अनुदान राज्य माल और सेवा कर से स्वीकृत किया जाता है:–

2– अनुदान की स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन होगी:–

(1) छविगृह के लाइसेंसी द्वारा अनुदान के रूप में अनुमन्य / स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2) छविगृह के लाइसेंसी द्वारा प्रत्येक प्रदर्शन में जारी किये गये टिकटों से प्राप्त आय का लेखा–जोखा, सुसंगत अधिनियम / नियमावली में विहित–प्रक्रिया के अनुसार तैयार किया जायेगा। अनुदान की अवधि में, कर की राशि का लेखा–जोखा अलग से तैयार किया जायेगा।

(3) छविगृह स्वामी को सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली तथा उसके अन्तर्गत विहित अधिकारों के अधीन समय–समय पर जारी आदेशों / निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

(4) छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखना होगा और उक्त मद में अग्रेतर पांच वर्ष तक इस योजना के तहत अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।

(5) यदि शासन अथवा जिला मजिस्ट्रेट को यह समाधान हो जाता है कि एकल स्क्रीन छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित किसी विधिक प्राविधान या उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश की किसी भी सुसंगत शर्त / प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो अनुदान का आदेश निरस्त किया जा सकेगा और अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित "भू–राजस्व बकाया" की भांति वसूल कर राजकोष में जमा कर दी जायेगी।

प्रारूप–6

अनुबन्ध–पत्र

(रू0 100.00 के स्टॉम्प पेपर पर एकल स्क्रीन छविगृह के लाइसेंसी द्वारा निष्पादित किया जायेगा)

यह विलेख आज दिनांक .....को श्री ..... (जिसे अग्रेतर "आबद्ध व्यक्ति" कहा गया है) पुत्र श्री ..... स्थायी निवासी.....जो सम्प्रति .....में निवास करता है, जिला मजिस्ट्रेट..... (जिसे अग्रेतर "जिला मजिस्ट्रेट" कहा गया है) के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है।

आबद्ध व्यक्ति, उत्तर प्रदेश चलचित्र नियमावली, 1951 के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद..... स्थित ..... (जिसे अग्रेतर "आमोद" कहा गया है) का लाइसेंसी है और इस निमित्त शासनादेश संख्या–.....दिनांक..... के प्रस्तर–3(च) पर वर्णित वर्ग "सिनेमाओं के उच्चीकरण हेतु प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत, आबद्ध व्यक्ति द्वारा राज्य माल और सेवा कर से अनुदान हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अब यह विलेख निम्नलिखित का साक्षी है:–

1– (1) आबद्ध व्यक्ति को वर्णित शासनादेश दिनांक ..... के अनुसार अनुदान के रूप में अनुमन्य/स्वीकृत धनराशि को यथाविधि राजकोष में जमा करना होगा और तत्पश्चात उसे विहित प्रक्रिया के अनुसार वापस किया जायेगा।

(2) आबद्ध व्यक्ति शासनादेश की सभी शर्तों/प्रतिबन्धों तथा सुसंगत समस्त अधिनियमों/नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी निर्देशों/आदेशों का पालन करेगा।

(3) आबद्ध व्यक्ति, छविगृह में कराये गये उच्चीकरण कार्य से सम्बन्धित यन्त्र, उपकरण, फर्नीचर, सामग्री आदि को अग्रेतर पांच वर्ष की अवधि तक क्रियाशील बनाये रखेगा।

(4) यदि जिला मजिस्ट्रेट अथवा शासन को यह समाधान हो जाता है कि कराये गये उच्चीकरण कार्य में उससे सम्बन्धित किसी विधिक प्राविधान या उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश या उक्त में अन्तर्निहित सुसंगत शर्त/प्रतिबन्ध का उल्लंघन किया गया है अथवा अनुदान गलत तथ्यों के आधार पर स्वीकृत किया गया है, तो आबद्ध व्यक्ति, अनुदान के रूप में प्राप्त की गयी समस्त धनराशि 18 प्रतिशत ब्याज सहित राजकोष में जमा करेगा।

2– जिला मजिस्ट्रेट निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं:

(1) अनुदान निरस्तीकरण हेतु वर्णित परिस्थितियों में से किसी के पाये जाने की दशा में, अनुदान आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त करना।

(2) अनुदान निरस्तीकरण की दशा में, अनुदान के रूप में दी गयी समस्त धनराशि को 18 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित राजकोष में जमा करने हेतु आबद्ध व्यक्ति को आदेशित करना।

3– जब तक कोई प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो–

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत अधिनियम से है।

(2) "आबद्ध व्यक्ति" के अन्तर्गत उसका वारिस, प्रतिनिधि, निष्पादक, प्रशासक और समनुदेशी भी सम्मिलित है।

(3) "नियमावली" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत निर्मित नियमावली या तत्समय प्रवर्तनीय किसी अन्य सुसंगत नियमावली से है।

इसके साक्ष्य स्वरूप इस विलेख पर ऊपर लिखित दिनांक और वर्ष को आबद्ध व्यक्ति ने हस्ताक्षर कर दिये हैं।

आबद्ध व्यक्ति के हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर

यह विलेख निम्नलिखित गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया।

1—

2—